

बिहार सरकार
जल संसाधन, विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सारण नहर प्रमंडल, छपरा

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01/2024

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 05/2023-24

1. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य क्षेत्र (जिला में)	प्राक्कलित राशि (रूपया में) (लाख में)	अग्रधन की राशि (रूपया में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपया में)	कार्य समाप्त करने की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निरीक्षण भवन, बसंतपुर (श्रेणी/ई०) का सम्पूषेण कार्य।	सिवान	4.00	8000.00	750.00	01 माह	

- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि - दिनांक 08/01/2024
- निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय - दिनांक 16.01.2024 के 10.00 बजे पूर्वाह्न से 20.01.2024 के 5 बजे अपराह्न तक ।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय - दिनांक 22.01.2024 अपराह्न 3:00 बजे तक
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय - दिनांक 22.01.2024 अपराह्न 3:30 बजे
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय - सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं को सूचित किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :- क. कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा
ख. अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा।
- निविदा प्राप्ति का स्थान - क्रमांक 7 के सभी कार्यालय में।
- विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता - कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा
- निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त नियम अहर्ता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए निविदा प्रपत्र बिक्री कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

8

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन देय होगा। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/- रू0 के गुणक में होगा।
2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किए जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जायेगी।
3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा में भुगतये हो सकें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में उपलब्ध कराने पर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
4. निविदा दो मुहरबंद (लाह/चपड़ा से सील) लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 05 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र प्रीक्वालिफिकेशन वाल लिफाफे को ही खोला जायेगा। प्रीक्वालिफिकेशन करने वाले निविदाकारों के दूसरे लिफाफा जिसमें प्राईस बीड रहेगा को बाद में प्रीक्वालीफाईंग बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार प्रीक्वालीफाई बीड में असफल होंगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या- 13589, पटना, दिनांक 13.12.2011 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी- 4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
6. निविदादाता के प्रीक्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज का अभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है।
(क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने के प्रमाण-पत्र।
(ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूपमें समर्पित करना अनिवार्य है।
(ग) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है
& " I the undersignes, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/ forged, the undersigned be liable for inflication upon the FIR lawful punishment as well as black listing. "
प्रीक्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण विभागीय पत्रांक 528 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप उपर तीनों कागजातों के आधार पर होगा।
7. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0- यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सकें।
8. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।
9. बिना कारण बताए एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगा।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक -50 दिनांक 20.02.2020, पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 447 दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449 दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए **Additional Performance Guarantee** को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
12. सफल निविदाता को जनकार्य प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकाररनामा करना होगा।
13. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आवंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।
14. 01 प्रतिशत सेस की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।
15. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी।
16. कार्य आवंटन के पश्चात् एकाररनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। इस कार्य में कोई वृद्धि मान्य नहीं है। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाए तो निविदा खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी।
17. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (**Seigniorage Fee**) की कटौती आपूर्तिकर्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से की जाएगी।
18. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट्ट पर देखें।
19. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
20. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
21. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार पटना का पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. एकाररनामा के समय बिक्री कर, श्रम अनुज्ञप्ति एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

08/01/24
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा

8.1.24

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01 / 2024

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान/ कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा/मढ़ौरा/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

08/01/2024
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा
Pg. 1.24

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01 / 2024

प्रतिलिपि :- सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी, अन्तर्गत सारण नहर प्रमंडल छपरा को सूचनार्थ अग्रसारित।

08/01/2024
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा
Pg. 1.24

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01 / 2024

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल/सभी लेखा लिपिक/प्राक्कलन पदाधिकारी, अन्तर्गत सारण नहर प्रमंडल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

08/01/2024
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा
Pg. 1.24

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01 / 2024

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सारण/सिवान, पुलिस अधीक्षक, सारण/सिवान, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

08/01/2024
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा
Pg. 1.24

पत्रांक 39 / छपरा, दिनांक 08/01 / 2024

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को दो प्रतियों में सी0 डी0 के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/2024
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, छपरा
Pg. 1.24